दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/04/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 लालजी त्रिपाठी	प्र0 अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	डॉ0 निजामुद्दीन	आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
9	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
11	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, सेन्ट एण्ड्रयूज पी0जी0 कालेज गोरखपुर	सदस्य
12	डॉ0 श्रीमती सरोज श्रीवास्तव	डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, गोरखपुर	सदस्य
13	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
14	श्री प्रभाष द्विवेदी	कुलसचिव	सदस्य
15	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
	विशेष आमंत्रित सदस्य		
1	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	संयोजक, अनुचित साधन प्रयोग कमेटी	सदस्य
2	प्रो0 संजीत कुमार गुप्ता	सदस्य, अनुचित साधन प्रयोग कमेटी	सदस्य

कार्यवृत्त :

1. केन्द्र कोड–539, ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की दिनांक 08/04/2015 के प्रथम पाली की बी0ए0 प्रथम वर्ष हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में कुछ छात्रों (08) की उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षा से पूर्व लिखे हुये प्राप्त होने पर एवं दिनांक 07/04/2015 की द्वितीय पाली की बी0ए0 द्वितीय वर्ष हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र की भी लिखित उत्तरपुस्तिकाएं (07) प्राप्त होने पर, केन्द्राध्यक्ष द्वारा थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु प्रेषित पत्र एवं तत्समय परीक्षा हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय एवं इससे सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचार।

निर्णयः–ज्ञानभारती महाविद्यालय रगड़गंज, कुशीनगर के उपरोक्त प्रकरण में उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षा पूर्व लिखे होने, केन्द्राध्यक्ष द्वारा थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु प्रेषित पत्र के विन्दुओं एवं तत्समय कुलपति जी द्वारा लिये गये गये निर्णयों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। समिति ने सर्वसम्मत्ति से सर्वप्रथम एक तथ्यान्वेषण समिति (Fact Finding committee) का गठन किया जो निम्नवत होगी–

1. प्रो0 पी0सी0 शुक्ल, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	– संयोजक
2. डॉ0 सरोज श्रीवास्तव, डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, गोरखपुर	– सदस्य
3. डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा	– सदस्य
4. कुलसचिव	– सदस्य/सचिव

समिति 30/04/2016 तक अपनी आख्या अवश्य प्रस्तुत कर देगी, जिसे आगामी परीक्षा समिति में रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जा सके। कुलपति जी द्वारा ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर में दिनांक 08/04/2016 को प्रथम पाली में बी0ए0 हिन्दी प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त करने व दिनांक 09/04/2016 से आगे की शेष परीक्षा बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर परीक्षा केन्द्र पर कराने के निर्णय का अनुमोदन किया।

साथ ही समिति ने केन्द्राध्यक्ष, डॉ0 महात्मा प्रणव कुमार चतुर्वेदी को जांच रिपोर्ट आने तक परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धित कार्य प्रतिबन्धित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

(क). अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षाफल शुल्क जमा न होने के कारण लम्बित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण को लिखित रूप से यह अवगत कराया गया है कि उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति शासन

द्वारा वर्ष में एक बार एक साथ ही उनके खाते में की जाती है। अतः प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क के अभाव में परीक्षाफल न रोका जाय, के सन्दर्भ में विचार।

निर्णय—परीक्षा समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षाफल, परीक्षा शुल्क के अभाव में न रोक कर शीघ्र घोषित कर दिया जाय साथ ही उक्त छात्र/छात्राओं के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल परीक्षा शुल्क के अभाव में विद्हेल्ड (W1) रखा जाय।

(ख).विश्वविद्यालय के विधि द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के छात्रों द्वारा कतिपय प्रश्नपत्रों में अत्यन्त कम नम्बर पाने/खराब मूल्यांकन होने के क्रम में विशेष परीक्षा कराये जाने के प्रत्यावेदन पर विचार—

निर्णय—परीक्षा समिति ने छात्रों के द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि चूंकि प्रश्नपत्रों के निर्माण व मूल्यांकन के लिए परीक्षक आदि नामित करने का कार्य विश्वविद्यालय के अध्ययन परिषद (बोर्ड आफ स्टडीज) के द्वारा होता है। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण को विधि विभाग के अध्ययन परिषद (बोर्ड आफ स्टडीज) को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा इस प्रकरण पर इसी सप्ताह अध्ययन परिषद आहूत कर विचार कर लिया जाय।

(ग). संयोजक, अनुचित साधन प्रयोग द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार—

(I) छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिका में अभद्रभाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में विचार—

निर्णय— परीक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ छात्र अपने उत्तरपुस्तिका में अभद्रभाषा का प्रयोग किये हैं, समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि जिन उत्तरपुस्तिकाओं में अभद्रभाषा का प्रयोग किया गया है उस उत्तरपुस्तिका को अलग कर लिया जाय और उस पर अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

(II) दीनदयाल उपाध्या गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा करायी जा रही परीक्षा में त्रुटिवश सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की उत्तरपुस्तिकाएं प्रयुक्त होने के क्रम में विचार—

निर्णय—समिति ने इसे महाविद्यालय की मानवीय त्रुटि मानते हुए, यह निर्णय लिया कि छात्रहित में इसे मूल्यांकित करा लिया जाय।

(III) कतिपय महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग की दूसरी उत्तरपुस्तिका अनुचित साधन प्रयोग के बण्डल में न रखकर मुख्य बण्डल में रखकर विश्वविद्यालय मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित कर दिया है, ऐसे महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों/प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मॉंगने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति